Annexure III

जिला स्तरीय समिति की कार्यवृत्ति

आज दिनांक 15-04-2019 को वन अधिकार अधि0 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक आहूत की गयी है। उक्त बैठक में जनपद सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अनपरा रेंज अन्तर्गत ग्राम ककरी, के बासी वन ब्लाक के कम्पार्टमेन्ट संख्या 03 एवं 04 के रकबा के **185.84** हेक्टेअर वन भूमि जो कि वर्ष 1989 में वन विभाग द्वारा मेसर्स ककरी परियोजना (नार्दन कोलफील्डस् लिमिटेड) सोनभद्र के खनन कार्य हेतु लीज पर हस्तान्तरित की गयी है, के सम्बन्ध में पट्टे के नवीनीकरण हेतु वन अधिकार अधिनियम **2006** के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकार तथा उनके दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा दिये गये निर्णय पर विचार किया गया। निर्णय के अनुसार उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्पराग वन निवासियों का कब्जा नही है, तथा उनके अधिकार सम्बन्धित प्रस्ताव लम्बित नही है और न ही किसी के द्वारा कोई अधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

अतः अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के उक्त भूमि पर अधिकार के सम्बन्ध में पुर्नविचार की आवश्यकता नही है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि मेसर्स ककरी परियोजना (नार्दन कोलफील्डस् लिमिटेड) सोनभद्र को खनन कार्य हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हेक्टेयर वन भूमि के पट्टे के नवीनीकरण के सम्बन्ध में सहमति प्रदान की जाती है।

नाम / हस्ताक्षर

(क) अध्यक्ष– जिलाधिकारी सोनभद्र ....

(अंकित कुमार अग्रवाल जिलाधिकारी सोनभद्र)

(ख) सदस्य प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट, सोनभद्र..............................

(ग) सचिव / सदस्य जिला समाज कल्याण अधिकारी, सोनभद्र..............................

1. जिला पंचायत सदस्य ....
2. जिला पंचायत सदस्य ....
3. जिला पंचायत सदस्य ....